न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 58–एक/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 5–11–2012 पारित द्वारा कलेक्टर, जिला हरदा प्रकरण क्रमांक 01/अ–63/2012–13.

मोहनलाल वल्द धन्नू गोलान
निवासी ग्राम मोगराढ़ाना उर्फ टेमरूबहार
तहसील रहटगांव जिला हरदा
द्वारा मुख्तयारआम
रामसिंह सोलंकी अध्यक्ष अधिकार समिति
अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग हरदा
शाखा सालीखेड़ा रालामाटी
निवासी जिला एवं सत्र न्यायालय के सामने हरदा ....आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0 शासन ....अनावेदक

श्री बी0के0 चौहान, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 2/3/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर, जिला हरदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 5–11–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार, रहटगांव जिला हरदा द्वारा प्रकरण क्रमांक 129/बी–121/वर्ष 2010–11 में पारित आदेश दिनांक 30–6–2011 से आवेदक को ग्राम टेमरूबहार स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 177 पर लगे सागवान एवं सतकटा के कुल 752 वृक्ष काटे जाने की अनुमति दी गई । दिनांक 19–8–11 को वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल हरदा द्वारा कलेक्टर हरदा को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर तहसीलदार का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया । उक्त प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर द्वारा

प्रकरण कमांक 01/अ–63/2012–13 दर्ज कर दिनांक 5–11–2012 को आदेश पारित किया जाकर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया गया । कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि जिस भूमि पर प्रश्नाधीन वृक्ष खड़े हैं, वह भूमि आवेदक के भूमिस्वामी स्वत्व की है, और रिजर्व फॉरेस्ट नहीं है । अगर आवेदक की भूमि रिजर्व फॉरेस्ट में होती तो तहसील न्यायालय को वृक्ष काटने के आदेश देने की अधिकारिता नहीं थी । चूंकि तहसीलदार द्वारा अनुमति दी गई है, इसलिए प्रमाणित है कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदक के स्वत्व की भूमि है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा विधिवत जॉच की जाकर आदेश पारित किया गया है । यह भी कहा गया कि वन विभाग के सर्वोच्च पदाधिकारी के स्पष्ट निदेश हैं कि भूमिस्वामी की भूमि को जब तक अधिग्रहीत नहीं किया जाता है, तब तक वन संरक्षित मान्य नहीं होगा । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वन विभाग के सर्वोच्च पदाधिकारी के आदेश के विपरीत कार्यवाही की गई है, इसलिए कलेक्टर का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदक शासन की ओर से सूचना उपरान्त भी कोई उपस्थित नहीं ।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि राज्य शासन द्वारा अधिसूचना कमांक 3393/10/57 दिनांक 11–7–1957 से प्रश्नाधीन भूमि संरक्षित वन भूमि घोषित की गई है, और संरक्षित घोषित भूमि में स्थित वृक्षों को काटने की अनुमति देने का अधिकार तहसीलदार को नहीं है, अतः कलेक्टर द्वारा तहसीलदार के प्रश्नाधीन वृक्ष काटे जाने की अनुमति देने संबंधी आदेश दिनांक 30–6–2011 निरस्त करने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है, इसलिए उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर, जिला हरदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 5–11–2012 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर